खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम

लम्बे समय से खादी कतिनों एवं बुनकरों हेतु सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करने, आय सृजन एवं बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी ताकि उन्हें बेहतर कार्य वातावरण एवं परिवेश मिल सके और वे अपने कताई एवं बुनाई कार्य को प्रभावशाली तरीके से निष्पादित कर सकें। तदनुसार, सरकार ने दिनांक 27 मई, 2008 से कार्यान्वयन हेतु **खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम** नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का अनुमोदन प्रदान किया, जिसका कार्यान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से होगा। इस स्कीम के अन्तर्गत खादी कतिनों एवं बुनकरों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहे कतिनों और बुनकरों को प्रायोगिक आधार पर वर्कशेड निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इस स्कीम का कार्यान्वयन 11वीं योजना (2008-09 से 2011-12 तक) अवधि के दौरान किया जाएगा। स्कीम के अन्तर्गत लगभग 127 करोड़ रुपये की लागत से 38000 से अधिक वर्कशेड निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है, जिसमें केन्द्रीय सरकार के बजटीय स्रोतों से 95 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता केवीआईसी को अनुदान के रुप में दिया जाना प्रस्तावित है।

2. स्कीम के तहत सहायता

उन खादी कारीगरों को वर्कशेड निर्माण हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी जो कारीगर गरीबी रेखा से नीचे हैं और उन्ही खादी संस्था के माध्यम से राशि दी जाएगी जहां वे कार्यरत हैं। सहायता राशि निम्नानुसार होगी:-

संघटक	प्रति इकाई क्षेत्र	सहायता राशि
वैयक्तिक वर्कशेड	20 वर्ग मीटर (लगभग)	वर्कशेड लागत का 75 प्रतिशत अथवा 25,000/-, जो भी कम हो।
समूह वर्कशेड (न्यूनतम 5 खादी कारीगरों का समूह एवं अधिकतम 15 खादी कारीगर)	15 वर्ग मीटर प्रति लाभार्थी (लगभग)	कुल परियोजना लागत का 75 प्रतिशत अथवा 15,000/-प्रति लाभार्थी, जो भी कम हो।

भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के अतिरिक्त वर्कशेड लागत को पूरा करने के लिए लाभार्थियों के अंशदान के बिना खादी संस्थाओं द्वारा अंशदान की जा सकती है। वैयक्तिक वर्कशेड के मामले में खादी संस्थाएं राज्य स्तरीय कारीगर कल्याण निधि न्यास से लाभार्थी के नाम जमा कारीगर कल्याण निधि से वर्कशेड निर्माण हेतु अतिरिक्त निधि जारी कर सकती हैं। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता संस्थाओं (जिस संस्था के साथ स्कीम का लाभार्थी जुड़ा है) को दिया जाएगा जो वर्कशेड (प्रत्यक्ष अथवा उनके पर्यवेक्षण के तहत) के निर्माण हेतु जिम्मेदार होगा एवं केवीआईसी कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करेगा।

स्कीम से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के वेबसाइट (www.msme.nic.in) पर उपलब्ध है।